छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी)

CSPDCL

याचिका क्र. 09/2024

वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अंतिम ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता का पुनर्निर्धारण एवं उपभोक्ताओं से वसूली हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए खुदरा टैरिफ के निर्धारण संबंधी याचिका

रू. 50/–

सकल राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ अवधारण याचिका का संक्षिप्त हिन्दी संस्करण

पृष्ठ भूमि :–

(अ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 सहपठित धारा 133 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के कर्तव्य, सम्पति एवं दायित्वों को उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों अर्थात् छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (छ.स्टे.पॉ.ज.कं.लि.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (छ.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं. लि.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (छ.स्टे.पॉ.ट्रेडि.कं.लि.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (छ.स्टे.पॉ.होल्ड.कं.लि.) को अंतरित करने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अन्तरण योजना नियम 2008 लागू किया गया जिसे कालांतर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम 2010 द्वारा अधिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित किया गया है।

उक्त अंतरण योजना जो कि 01 जनवरी 2009 से प्रभावशील है, के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी है जिसके आपूर्ति क्षेत्र में स्थित विद्युत उपभोक्ताओं की आपूर्ति हेतु विद्युत दरों का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 तथा उसके अन्तर्गत प्रभावशील नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया जाता है।

(ब) छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023 में अधिसूचित उपभोक्ता दरें जो कि दिनांक 01.04.2023 से प्रभावशील है, वर्तमान में लागू हैं।

(स) विद्युत अधिनियम, 2003 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को प्रति वर्ष अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता का आकंलन कर आयोग के समक्ष टैरिफ अवधारण याचिका प्रस्तुत करना प्रावधानित है। तदानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 एवं 86(1)(a) में निहित प्रावधानों एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाये गये ''बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारणा हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रकिया तथा निबंधन एवं शर्तें'' विनियम, 2021 सहित उसके संशोधन में विहित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अंतिम ट्रू–अप याचिका, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता का पुनर्निर्धारण एवं उपभोक्ताओं से वसूली हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए खुदरा टैरिफ के निर्धारण संबंधी याचिका माननीय राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

याचिकाकर्ता ने कार्यालयीन दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध जानकारी के आधार पर माननीय आयोग के विनियम के अनुपालन एवं दायित्वों के निर्वहन में अपनी श्रेष्ठ क्षमताओं तथा उपलब्ध संसाधनों से निष्कपट चेष्टा की है। तथापि यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी निर्धारण प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध होती है, तो ऐसी स्थिति के याचिकाकर्ता को यह अतिरिक्त जानकारी दायर

करने एवं तदानुसार याचिका संशोधित/पुनरीक्षित करने का अधिकार सुरक्षित रखने की अनुमति प्रदान करे।

<u>विशेष टीप</u> : **(प्रस्तावित याचिका का हिन्दी रूपांतरण हितधारकों की सुलभता के लिये किया गया है, किसी भी विषय विशेष के भावार्थ तथा आकड़ों की सत्यता पर भ्रम की स्थिति में मूल अंग्रेजी याचिका मान्य होगी।)**

1. वर्ष 2022–23 के लिये अंतिम ट्रू–अप का विवरण :–

(i) वितरण हानि :

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड वितरण हानि को कम करने हेतु गंभीर एवं समर्पित है। जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के भार वृद्धि एवं विद्युत अधोसंरचना के विस्तार के उपरांत भी वितरण हानि में उत्तरोत्तर कमी हो रही है।

विवरण	**वर्ष_2022-23**
माननीय नियामक आयोग द्वारा वितरण हानि हेतु निर्धारित लक्ष्य	15.67%
छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि. द्वारा प्राप्त वितरण हानि	18.84%

(ii) वर्ष 2022–23 के लिये विद्युत की उपलब्धता एवं क्रय लागत का विवरण :–

(याचिका की तालिका क्रमांक –7)

स. क्र.	विवरण	02.08.2021 के टैरिफ आदेश के अनुसार			अंतिम ट्रू–अप		
	विद्युत उत्पादन संयंत्र का विवरण	मात्रा (मिलियन यूनिट में)	राशि (रू.करोड़ में)	दर (रू. प्रति केडब्ल्यूएच में)	मात्रा (मिलियन यूनिट में)	राशि (रू. करोड़ में)	दर (रू. प्रति केडब्ल्यूएच में)
1	**केन्द्रीय विद्युत संयंत्रो से**	***15,125.67***	***5,047.07***	***3.34***	***15,928.93***	***7,006.82***	***4.40***
a	एन.टी.पी.सी.	*14008.29*	*4442.42*	***3.17***	*14,558.66*	*6,439.47*	***4.42***
b	एन.टी.पी.सी.–सेल	*271.13*	*100.27*	***3.70***	*318.80*	*141.39*	***4.43***
c	एन.पी.सी.आई.एल.	*295.36*	*95.24*	***3.22***	*362.68*	*123.80*	***3.41***
d	अन्य	*550.89*	*409.14*	***7.43***	*688.79*	*302.17*	***4.39***
2	**छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के संयंत्रों से**	***19,094.39***	***6,716.87***	***3.52***	***16,483.62***	***6,018.72***	***3.65***
i	छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी– ताप विद्युत	*18721.81*	*6647.26*	***3.55***	*16,443.61*	*6,006.05*	***3.65***

ii	छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी–नवीकरणीय	*372.58*	*69.61*	***1.87***	*40.01*	*12.67*	***3.17***
3	**अल्पकालिक विद्युत ईकाईयों से क्रय**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***479.254***	***424.10***	***8.85***
4	**रियायती पॉवर – छत्तीसगढ राज्य पॉवर ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से**	***2,395.56***	***444.52***	***1.86***	***2,351.96***	***675.64***	***2.87***
5	**अन्य– नवीकरणीय स्त्रोत**						
i	बायोमॉस	***4,551.45***	***1,569.03***	***3.45***	***2,805.10***	***1,587.15***	***5.66***
ii	सोलर	*886.58*	*610.52*	***6.89***	*815.35*	*622.09*	*7.63*
iii	जल/अन्य नवीनीकरण	*1994.01*	*498.50*	***2.50***	*1,479.11*	*575.59*	*3.89*
iv	सौर और गैर–सौर आरईसी	*464.72*	*158.47*	***3.41***	*510.64*	*359.06*	*7.03*
v	अन्य प्रभार–आरई						
vi	एसईसीआई	*1206.14*	*301.54*	***2.50***		*30.41*	
6	**अनशेड्यूल्ड पॉवर**						
7	**पारेषण प्रभार**	*0.00*	***0.00***	*0.00*	31.29	4.19	***1.34***
i	अंर्तराज्यीय पारेषण लागत		***1845.34***			***2071.79***	
ii	अंतः राज्यीय पारेषण लागत		*1102.55*			***1006.69***	
iii	राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रभार		*18.1*			***7.84***	
vi	कमी : कोविड–19 के कारण एएफसी में छूट					*0.00*	
8	**यूआई क्रय**	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*569.97*	*120.99*	*2.12*
9	**सीमावर्ती गांव**	*0.00*	*0.00*	*0.00*	1.74	1.61	*9.23*
10	**बैकिंग क्रय**	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*673.62*	*0.00*	*0.00*
11	**प्रतिक्रियाशील प्रभार**	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.58*	*0.00*
12	**सकल विद्युत क्रय लागत**	***41,167.07***	***15,622.83***	***3.79***	***39,325.49***	***17,881.94***	***4.55***
13	**कमीःसमायोजन**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***3,379.06***	***1,247.91***	***3.69***
i	तेलंगाना को विक्रय				*0.00*	*0.00*	***0.00***
ii	सेल ऑफ सरप्लस पॉवर				*2,670.32*	*1,229.47*	***4.60***

iii	यूआई सेल				*348.20*	*18.45*	*0.53*
14	**बैंकिंग सेल**				*360.54*	*0.00*	
15	**आरआरएएस सेटलमेंट**					*29.65*	
16	**शुद्ध विद्युत क्रय लागत**	***41,167.07***	***15,622.83***	***3.79***	***35,946.43***	***16,634.02***	***4.63***

माननीय आयोग से उपरोक्तानुसार उल्लेखित रू. 16634.02 करोड़ के पॉवर क्रय की लागत के अनुमोदन की प्रार्थना है।

(iii) अंतिम खाते के अनुसार ट्रू अप किये जाने पर वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता का विवरण :–

(याचिका की तालिका क्रमांक –23)

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23		
		टैरिफ आदेश दि. 13.04.2022	अंतिम ट्रू–अप	अन्तर
A	**शुद्ध विद्युत क्रय लागत**	**15,622.84**	**17881.94**	**2,259.10**
B	**संचारण एवं संधारण व्यय**	**2,292.20**	**2,383.54**	**91.34**
1	शुद्ध कर्मचारी लागत	1,245.27	1,156.07	-89.20
2	शुद्ध प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	88.88	122.19	33.31
3	शुद्ध मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	255.87	319.59	63.72
4	पेंशन और उपादान	702.18	785.69	83.51
5	अंतरिम वेतन राहत	-	-	-
C	**ब्याज एवं वित्तीय व्यय**	**315.54**	**364.35**	**48.81**
1	ऋण पर ब्याज	172.51	243.69	71.18
2	कार्यशील पूंजी आवश्यकता पर ब्याज	143.03	120.65	-22.38
D	**अन्य व्यय**	**631.74**	**736.69**	**104.95**
1	अवमूल्यन	274.49	340.54	66.05
2	इक्विटी पर रिटर्न	357.25	396.15	38.90
E	**दक्षता पर लाभ/(हानि)**		**281.35**	**281.35**
1	संचा./संधा. दक्षता साझा से प्राप्ति लाभ/(हानि)		28.87	28.87
2	वितरण हानि दक्षता साझा से प्राप्ति लाभ/(हानि)		252.48	252.48
F	**कमी : गैर टैरिफ आय**	**185.43**	**350.59**	**165.16**
1	गैर टैरिफ आय		262.54	262.54
2	व्हीलिंग चार्जेस ओपन एक्सेस एण्ड क्रास सब्सिडी चार्ज, पीओसी		88.05	88.05
G	**कुल राजस्व आवश्यकता**	**18,676.89**	**20,734.58**	**2,057.69**

उपरोक्तानुसार माननीय आयोग से 20734.58 करोड रूपये की राजस्व आवश्यकता को स्वीकृत करने की प्रार्थना है।

(iv) वर्ष 2022–23 के लिये स्टेण्ड एलोन अधिशेष/(कमी) का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है :–

(याचिका की तालिका क्रमांक 25)
(राशि करोड़ में)

क्र.	विवरण	2022–23 टैरिफ आदेश दिनांक 13.04.2022 के अनुसार से	अंतिम ट्रू–अप
1	शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता	15,280.55	20,734.58
2	बिजली के विक्रय से आय	16726.60	18,946.18
3	स्टैण्ड एलोन कमी/(आधिक्य)	-1,446.05	1,788.41
4	जोडना: स्टैण्ड एलोन कमी/(आधिक्य)		1,788.41
5	CSPGCL के लिए वर्ष 2020–21 का अंतिम ट्रू–अप का अग्रेनीत कमी/(आधिक्य)	246.21	246.21
6	CSPTCL के लिए वर्ष 2020–21 का अंतिम ट्रू–अप का अग्रेनीत कमी/(आधिक्य)	-90.32	-90.32
7	CSLDC के लिए वर्ष 2020–21 का अंतिम ट्रू–अप का अग्रेनीत कमी/(आधिक्य)	-3.32	-3.32
8	CSPDCL के लिए वर्ष 2020–21 का अंतिम ट्रू–अप का अग्रेनीत कमी/(आधिक्य) रिव्यू पीटिशन के प्रभाव सहित	1,679.82	1,679.82
9	जोड़ना: CSPGCL के लिए वर्ष 2022–23 का अंतिम ट्रू–अप के बाद राजस्व कमी	-	37.02
10	जोड़ना: CSPTCL के लिए वर्ष 2022–23 का अंतिम ट्रू–अप के बाद राजस्व कमी	-	159.76
11	जोड़ना: वर्ष 2021–22 का अंतिम ट्रू–अप के बाद रिव्यू पीटिशन का राजस्व कमी	0.00	832.67
12	जोड़ना: वर्ष 2021–22 का अंतिम ट्रू–अप के बाद रिव्यू पीटिशन का राजस्व कमी (वितरण हानियों का पुर्नवितरण)	0.00	106.80
13	कमी: जुलाई 2022 के वीसीए का समायोजन (केरिंग कॉस्ट के साथ)		45.72
14	अंतिम राजस्व कमी/(आधिक्य)	386.34	4711.32
15	वर्ष 2021–22 के कमी का समायोजन		
16	कुल अंतिम कमी		**4711.32**
17	ब्याज दर (प्रतिशत)		7.50%
18	केयरिंग/(होल्डिंग) लागत	0.00	137.59
19	**वर्ष के अंत में कुल क्लोजिंग कमी/(आधिक्य)**	**386.34**	**4,848.91**

उपरोक्तानुसार वर्ष 2022–23 के लिये माननीय आयोग से रू. 4711.32 करोड़ राजस्व कमी की राशि के अनुमोदन का अनुरोध है। यह अंतर वर्ष 2024–25 में कैरिंग कॉस्ट सहित रू. 4848.91 करोड़ है जो कि याचिका के तालिका क्र. 25 मे अग्रेषित किया गया है।

2. वर्ष 2024–25 हेतु विद्युत क्रय लागत के महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

(i) <u>पॉवर परचेस की कॉस्ट एवं उपलब्धताः–</u>

(याचिका की तालिका क्रमांक – 35)

स.क.	विवरण	वर्ष 2024–25		
		क्रय की गई यूनिट (मि.यू.)	कुल लागत (रू. करोड में)	पैसा/ केडब्ल्यूएच
1	**केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से**	**14784.01**	**4926.77**	**333**
A	एनटीपीसी	13579.58	4297.80	316
B	एनटीपीसी सेल (एनएसपीसीएल)	267.39	93.05	348
C	एनपीसीआईएल	288.76	93.14	323
D	अन्य	648.28	442.78	683
2	**राज्य उत्पादन संयंत्रों से**	**18697.84**	**6461.20**	**346**
A	सीएसपीजीसीएल–तापीय	18023.59	6335.11	351
B	सीएसपीजीसीएल–नवीकरणीय	674.25	126.08	187
3	**ट्रेडिंग कंपनी से रियायत विद्युत**	**2395.56**	**444.52**	**186**
4	**अन्य नवीनीकरणीय स्त्रोत**	**3945.89**	**1028.76**	**261**
A	बायोमॉस	0.00	0.00	0.00
B	सोलर	1293.21	323.30	250
C	जल/अन्य आरई	464.72	158.47	341
D	अन्य आरई	2187.96	546.99	250
5	**पारेषण प्रभार**		**1,973.20**	
A	अर्न्तराज्यीय पारेषण लागत		724.69	
B	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत		1,226.30	
C	राज्य भार प्रेषण केन्द्र का लागत		22.21	
6	**सकल विद्युत क्रय लागत**	**39,823.30**	**14.834.45**	**373**
8	**समायोजन**	**983.24**	**206.90**	**210**
I	अर्न्तराज्यीय पारेषण हानि	527.52	0.00	0.00
II	तेलंगाना को विक्रय	0.00	0.00	0.00
III	सेल आफ सरप्लस पॉवर	455.72	206.90	454
9	**शुद्ध विद्युत कय लागत**	**38,840.06**	**14,627.55**	**377**

(ii) वर्ष 2024–25 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकताः–

(याचिका की तालिका क्रमांक 36)
(रूपये करोड़ में)

क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2024–25
A	**विद्युत क्रय लागत**	**14,627.55**
1	पॉवर क्रय लागत(पारेषण प्रभार बगैर)	*12,861.25*
2	कमीः तेलंगाना को विद्युत विक्रय	-
3	कमीः सेल आफ सरप्लस पॉवर	*206.90*
4	अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत (PGCIL)	*724.69*
5	अन्तःराज्यीय पारेषण प्रभार	*1,226.30*
6	सीएसएलडीसी प्रभार	*22.21*
B	**संचारण एवं संधारण व्यय**	**2,564.55**
1	कर्मचारी लागत	1,373.97
2	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	96.09
3	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	268.17
4	पेंशन और ग्रेज्यूटी	826.32
C	**ब्याज एवं वित्तीय व्यय**	**277.63**
1	ऋण पर ब्याज	*134.67*
2	उपभोक्ता प्रतिभूति निवेश पर ब्याज	-
3	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	*142.96*
D	**अन्य व्यय**	**706.16**
1	अवमूल्यन	*334.26*
2	इक्विटी से रिटर्न	*371.90*
E	**कमीः नॉन टैरिफ इन्कम**	**185.43**
1	नॉन टैरिफ इन्कम	*185.43*
F	**वार्षिक राजस्व आवश्यकता**	**17,990.46**

उपरोक्तानुसार वार्षिक राजस्व आवश्यकता वर्ष 2024–25 के लिये माननीय आयोग से रू. 17990.46 करोड़ रूपये

(iii) वर्ष 2024–25 के स्टेण्ड एलोन अधिशेष/(कमी) का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया हैः–

(याचिका की तालिका क्रमांक – 39)
(रूपये करोड़ में)

क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2024–25
1.	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	17,990.46
2.	वर्तमान टैरिफ विद्युत विक्रय से आय	21,616.77
3.	स्टेण्ड लोन (कमी)/अधिशेष	3,626.31
4.	(हानि)/लाभ को आगे बढ़ाये	(4,848.91)

5.	(हानि)/लाभ को आगे बढ़ाये वित्तीय वर्ष 2023–24 से	(2,924.53)
6.	कुल (हानि)/लाभ को आगे बढ़ाये	(8,046.66)
7.	**वर्तमान वर्ष के लिए शुद्ध (हानि)/लाभ**	**(4,420.35)**

3. वर्ष 2024–25 के लिये रिटैल टैरिफ प्रस्ताव

(i) छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि. द्वारा संचयी वार्षिक राजस्व आवश्यकता मांग को प्राप्त करने के लिए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु युक्तियुक्त टैरिफ निर्धारण हेतु माननीय नियामक आयोग से निवेदन करते हुए, घरेलू उपभोक्ताओं की टैरिफ में वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ii) ग्रीन ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु, वर्ष 2024–25 के लिए ग्रीन ऊर्जा टैरिफ का प्रस्ताव किया गया है। जिसके अन्तर्गत ग्रीन ऊर्जा टैरिफ विकल्प लेने वाले उपभोक्ताओं से विद्युत दर के रूप में संबंधित श्रेणी की सामान्य टैरिफ से रू.1.64 प्रति यूनिट अधिक रखने का प्रस्ताव किया गया है।

(iii) वर्तमान में प्रचलित एचव्ही–2, एचव्ही–3 एवं एचव्ही–4 टैरिफ श्रेणी पर लागू ''टाईम ऑफ डे'' टैरिफ को सौर ऊर्जा उपलब्धता/अनुपलब्धता एवं उच्चतम मांग अवधि के आधार पर टैरिफ निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो कि निम्नलिखित है,–

क्र.	प्रस्तावित समयावधि	प्रयोज्य टैरिफ
01.	सामान्य अवधि (23:00 to 10:00 बजे)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर
02.	उच्चतम भार अवधि (16:00 to 23:00 बजे)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 120 प्रतिशत
03.	गैर–उच्चतम भार अवधि (10:00 to 16:00 बजे)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 80 प्रतिशत

(iv) ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 27.04.2023 के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) के चार्जिंग केन्द्रों हेतु सौर एवं गैर–सौर समयावधि अनुसार पृथक विद्युत दरों का प्रस्ताव किया गया है, जो कि निम्नलिखित है,–

क्र.	प्रस्तावित उपयोग की अवधि	प्रयोज्य टैरिफ
01.	सौर अवधि के दौरान	औसत आपूर्ति की दर का 0.8 गुना
02.	गैर–सौर अवधि के दौरान	औसत आपूर्ति की दर का 1.2 गुना

(v) वर्तमान में प्रचलित एचव्ही –1, रेलवे कर्षण टैरिफ के अंतर्गत, माह में 20 प्रतिशत से अधिक लोड फैक्टर होने पर ऊर्जा प्रभार पर प्रदत्त 20 प्रतिशत की छूट के प्रावधान को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

(vi) वर्तमान में प्रचलित एचव्ही–4, स्टील उद्योग श्रेणी, के अंतर्गत उपभोक्ताओं को मासिक लोड फैक्टर, 49. 99 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होने पर ऊर्जा प्रभार पर 1 से 25 प्रतिशत छूट के प्रावधान को समाप्त कर, मासिक लोड फैक्टर 65 प्रतिशत और उससे अधिक होने पर ऊर्जा प्रभार पर 5 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव किया गया है।

(vii) दिनांक 22 अगस्त 2005 को राज्य षासन की अधिसूचना द्वारा गठित ''बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण'' एवं ''सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण'' के अधीनस्थ क्षेत्र मे स्थापित ऐसे औद्योगिक उपभोक्ता, को ऊर्जा प्रभार पर प्रदत्त 5 प्रतिशत छूट को 150 एमवीए संबद्ध भार वाले उपभोक्ताओं तक सीमित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

याचिका कर्ता

कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.)
छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., रायपुर

———0———